कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, गोरखपुर

पत्र सं0: सी0एफ0ओ0 / निरीक्षण–एफ0एस0–: दिनांकः– 06/05/21

सेवा में,

प्रबन्धक / व्यवस्थापक

सेन्ट्रल पब्लिक एकेडमी

चौरीचौरा, गोरखपुर।

विषयः– **आपके सेन्ट्रल पब्लिक एकेडमी, चौरी चौरा, गोरखपुर स्कूल भवन में स्थापित अग्निशमन / जीवरक्षा व्यवस्था का अग्निसुरक्षा की दृष्टिकोण से निरीक्षण कर अग्निशमन सुरक्षा का नवीनीकरण प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

संदर्भः– **आपका पत्र सं0 शून्य दिनांक**

उपरोक्त विषयक संदर्भ में आपके सेन्ट्रल पब्लिक एकेडमी, चौरी चौरा, गोरखपुर में स्थापित अग्निशमन / जीवरक्षा व्यवस्था का अग्निसुरक्षा की दृष्टिकोण से निरीक्षण किया गया तो निम्न तथ्य पाये गये।

1. पहुँच मार्गः– स्कूल भवन तक अग्निशमन के वाहन सुगमतापूर्वक आवागमन करते हुए अग्निशमन कार्य कर सकते हैं।
2. अग्निशमन कार्य हेतु भवन के टेरेस टैंक वांछित नहीं है।
3. स्कूल भवन में फर्स्टएड होजरील वांछित नहीं है।
4. भवन में निकास मार्ग के प्रदिप्त संकेत चिन्ह कार्यशील पाये गये।
5. भवन में निकास मार्ग की व्यवस्था मानक के अनुसार कार्यशील पाये गये।
6. भवन में स्थापित सभी फायर एक्सटिंग्यूशर कार्यशील, संतोषजनक दशा में पाया गया।
7. स्कूल में कार्यरत उपस्थित सम कर्मचारियों को अग्निशमन यंत्रों को चलाने का प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
8. ज्वलनशील पदार्थों का रख–रखाव सुव्यवस्थित पाया गया।
9. विद्युत आपूर्ति के वैकल्पिक श्रोत के अन्तर्गत जनरेटर सेट लगा पाया गया।
10. सेटबैक मानक के अनुसार वांछित है।
11. निष्क्रमण योजना एवं ड्रिल कराया जाना वांछित है।
12. भवन में मार्क ड्रिल कराया जाना वांछित है।

अतः उपरोक्त सभी अग्निशमन / जीवरक्षा व्यवस्था को सदैव कार्यशील बनाये रखना तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2005 तथा उ0प्र0 अग्नि निवारण व अग्निसुरक्षा नियमावली–2005 के नियम 04 व मानक सं0 2190 :: 1992 के अग्निशमन / जीवरक्षा व्यवस्था कराया जाना प्रबन्धक / प्रधानाचार्य का उत्तरदायित्व होगा के शर्त पर अग्निशमन जीवरक्षा व्यवस्था का अग्निशमन सुरक्षा का नवीनीकरण प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाता है जो निर्गत तिथि से 01 वर्ष तक वैध माना जाएगा। उपलब्ध अग्निशमन व्यवस्था अकार्यशील होने की दशा में यह प्रमाण–पत्र स्वतः निरस्त माना जाएगा।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी

गोरखपुर

मुख्य अग्निशमन अधिकारी

गोरखपुर